न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–643/2026

परबत्ता थाना काण्ड सं0–205/2026

अनिल यादव – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **अनिल यादव** की ओर से परबत्ता थाना काण्ड सं0–205/2026, धारा–308(2) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री रविन्द्र यादव के द्वारा संचालित किया गया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। रंगदारी के संबंध में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने कोई दावा नहीं किया है। कथित धारा–308(2) BNS के तहत कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होगा। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका निशा कुमारी, पु0अ0नि0 परबत्ता थाना के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 18.05.26 को समय करीब 16:30 बजे सूचिका को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति के द्वारा सलारपुर चौक के ऑटो स्टैंड के पास आने–जाने वाले यात्रिओं एवं टेम्पू चालक से अवैध रूप से रंगदारी वसुली की जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर सलारपुर ऑटो स्टैंड के पास पहुंची, तो देखी कि दो व्यक्ति पुलिस बल को देखते ही इधर उधर भागने लगा, संदेह के आधार पर भाग रहे व्यक्ति में से एक व्यक्ति को पकड़ गया, जिसने अपना नाम बंटी कुमार बताया तथा भागने वाले के बारे में पूछी, तो उसने बताया गया कि उसके साथ अनिल

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–643/2026
परबत्ता थाना काण्ड सं0–205/2026

लगातार
10.06.2026

यादव था, जो सलारपुर चौक पर टेम्पू चालक एवं आने–जाने वाले यात्रिओं से डरा धमका कर भय में डाल कर अवैध वसूली करता है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्त बंटी कुमार के विरूद्ध धारा–308(2) BNS के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें आरोपित धारा में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, इसलिए आवेदक/अभियुक्त के गिरफ्तार होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है, ऐसी दशा में यह उचित होगा कि वह संबंधित विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करे।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर संबंधित विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रार्थना करता है, तो संबंधित विचारण न्यायालय इस आदेश से प्रभावित हुये बिना, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के गुण–दोष के आधार पर उसके नियमित जमानत आवेदन का निस्तारण करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	10.06.26
Date of Reserving Judgement/Order	——
Uploading Date	12.06.26
Uploading by	(D.E.O.)